बंशीवुड इंटरनेशनल फिल्म्स एंड टेलीविजन एसोसिएशन (BIFTA)

एंटरटेनमेंट की दुनिया में प्रोड्यूसर डायरेक्टर आर्टिस्ट या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सभी प्रकार के लोगो के लिए पूरे देश की आज दी बेस्ट एसोसिएशन बन चुकी है ऐसा क्या काम करती है BIFTA ! आइए जानते है BIFTA के उद्देश्य को!

भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से रजिस्टर्ड BIFTA एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो कि पूर्णतया डोनेशन पर डिपेंड है साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन के मानक (ISO-9001:2015) सर्टिफाइड ऑर्गनाइजेशन है साथ ही साथ इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत भी रजिस्टर्ड है और मोमेरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखित और सरकार को संलग्न पूरी आर्टिकल्स आपके बीच में पेश कर रही है इसको ध्यान से देखे और लोगो तक पहुंचाए और सच्चाई से अवगत कराएं की

(एक पत्थर भी आसमां में सुराग कर सकता है अगर पत्थर को तबीयत से उछालो)

BIFTA की (MOA) और (AOA) क्या है ? आइए जानते है

1. पूरे देश में फिल्म इंडस्ट्री के विस्तार को लेकर काम करना (Promotion of arts)

(a) फिल्म इंडस्ट्री के विस्तार के लिए BIFTA सेंट्रल टीम के द्वारा समांतर तरीके से टीम का गठन किया जाता है जिसमें सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष/ राष्ट्रीय महासचिव/ राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी/ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष/राष्ट्रीय सचिव/राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य

(b) इसके बाद समांतर तरीके से प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष/प्रदेश महासचिव/प्रदेश मीडिया प्रभारी/प्रदेश सचिव की नियुक्ति जी जाती है

(स)इसके बाद जिले स्तर की टीम की गठन प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है जैसे जिला अध्यक्ष/जिला सचिव/जिला मीडिया प्रभारी की नियुक्ति जाती है।

(c) इसके बाद अगला कदम ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को जिला स्तर के पदाधिकारी के द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक सचिव और ब्लॉक मीडिया प्रभारी की नियुक्ति की जाती है।

(d) इसके बाद अंतिम पड़ाव पर ब्लॉक स्तर के पदाधिकाियों के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर की टीम की नियुक्ति की जाती है जिसमें ग्राम पंचायत अध्यक्ष /सचिव/मीडिया प्रभारी की नियुक्ति की जाती है ।

(e) फिर ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर के पदाधिकारियों के सहयोग से ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर के जितने भी पदाधिकारी होते है इनके द्वारा ब्लॉक स्तर पर निवास करने वाले सभी प्रकार के कलाकारो को निशुल्क सदस्यता अभियान के तरह फ्री मेंबरशिप दिया जाता है जिसके लिए सभी प्रकार के कलाकारो को BIFTA के

ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करके फ्री सदस्यता अभियान के जुड़ सकते है फिर वेबसाइट के माध्यम से ही आईडी पासवर्ड मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से मिल जाता है।

(f) निशुल्क सदस्यता अभियान के तहत जुड़े सदस्यों का ऑडिशन लिया जाता है ताकि ये पता चल सके कि किसकी रुचि किस ट्रेड में है क्युकी उन्हीं के रुचि के अनुसार BIFTA के द्वारा तीन माह का निशुल्क वर्कशॉप ब्लॉक स्तर पर दिया जाएगा

(g) निशुल्क वर्कशॉप पूरी होने के बाद सभी प्रशिक्षु को BIFTA के द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

(h) देश के प्रत्येक जिले में BIFTA के द्वारा फिल्म सिटी खोलकर सभी प्रशिक्षु कलाकारो को एड एलबम सीरियल मूवीज में काम देकर रोजगार मुहैया कराया जाएगा । और काम का उचित इनाम के साथ रोज ट्रेड के हिसाब से 300 रुपया से तीन हजार रुपया का वेतन भी दिया जाएगा लेकिन बेतन पाने के लिए कलाकारो के पास आर्टिस्ट कार्ड डायरेक्टर कार्ड होना अनिवार्य है ।

(i) वेतन के अलावा सभी कलाकारों को जीवन भर कई पीढ़ी तक रॉयल्टी भी दिया जाएगा ।

<u>2. पूरे विश्व में जितनी भी फिल्म एड एलबम सीरियल मूवीज बनती है उसका अकेले प्रोडक्शन हिन्दुस्तान में पूरे 100% में से 78% का प्रोडक्शन होता है मगर हमारे देश भारत में मार्केटिंग के नाम पर केवल 17 से 27% ही मार्केटिंग होती है मार्केटिंग को लेकर जो 50 से 60% का रिक्त है उसको भरने के लिए यानी मार्केट पर कब्जा करने का काम करना मुख्य उद्देश्य है (fill the gap of marketing by BIfta cine opc pvt ltd)</u>

(a) मार्केटिंग पर कब्जा करके सभी प्रकार के आर्टिस्टों को प्रोमोट करने के लिए BIFTA ने एक और नया प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसका नाम (BIFTA सीने ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड है) जिसमें हिन्दुस्तान में लगभग 300 से उपर फिल्म हाल (जो चल रहे थे या बन्द पड़े थे) सभी को BIFTA ने 30 साल के लिए लीज एग्रीमेंट कर लिया इसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म वेबसाइट यानी की खुद का ऐप्स जिसको ओटीटी बोला जाता है साथ ही साथ खुद का टीवी चैनल कई ब्रांच के साथ।

(b)BIFTA सीने का मुख्य कार्य BIFTA के गाइडलाइन पर बनी एड एलबम सीरियल मूवीज वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म (ओटीटी)ओटीपी/फ्री टू एयर/सिनेमाघर) पर प्रदर्शित करना है।

(c) BIFTA के गाइडलाइन पर कोई भी प्रोड्यूसर कंटेंट बना कर लाता है तो BIFTA सीने क्वालिटी चेक करने के बाद ऑन द टेबल भुगतान कर देती है ।

(d) इसके बाद BIFTA सीने से होने वाली कुल कमाई को 5 भाग में बाट देती है जिसने पहला हिस्सा (25%) उस कंटेंट के मालिक यानी प्रोड्यूसर को जाता है। दूसरा हिस्सा 25% आर्टिस्ट को जाता है तीसरा हिस्सा (20%) BIFTA के पदाधिकारी को जाता है और चौथा (20%) BIFTA मैनेजमेंट को जाता है साथ ही साथ पांचवा हिस्सा पब्लिक रॉयल्टी फंड (PRF) में जाता है।

What is PRF?

BIFTA CINE प्रस्तुत करता है
PUBLIC ROYALTY FUND (PRF)

BIFTA की यह योजना इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है दोस्तो आज तक आपने कई फंड और फंडा का नाम सुना होगा लेकिन आज तक आपलोग ऐसे फंड का नाम नहीं सुने होंगे जिसमें कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी कार्य में सक्रिय या बिना सक्रिय हुए पैसा नहीं कमा सकते है लेकिन bifta सीने आप सभी लोगो के लिए एक शानदार उपहार लेकर आयी है जिसके माध्यम से BIFTA के द्वारा प्रायोजित और प्रदर्शित होने वाली ओटीटी / ओटीपी/फ्री टू एयर टीवी चैनल/फिल्म हॉल में BIFTA के गाइडलाइन के द्वारा निर्मित किसी भी प्रोडक्ट एड एलबम सीरियल मूवीज वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म के द्वारा जीतन भी कमाई होगी उस कमाई का ग्लोबल टर्नओवर का 10% पब्लिक रॉयल्टी फंड बांटी जाएगी जिन लोगो का रॉयल्टी रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उन लोगो के खाते में सीधे मासिक पैसा ट्रांसफर होगा । कुल कमाई का हिस्सेदारी BIFTA सीने के द्वारा 5 भाग में होगी।

पहला हिस्सा-25% उस प्रोड्यूसर या को प्रोड्यूसर का जिसका प्रोजेक्ट होता है।

दूसरा हिस्सा -25% उस आर्टिस्ट राइटर या डायरेक्टर का जो अपने आर्टिस्ट कार्ड डायरेक्टर कार्ड या राइटर कार्ड के साथ प्रोजेक्ट में काम करता है।

तीसरा हिस्सा – 20% BIFTA के उन जाबाज पदाधिकारीयों को पूरे इंडिया के टर्न ओवर का जिन्होंने BIFTA को दिल से समय दिया और सक्रिय होकर काम के रहे है।

चौथा हिस्सा – 20% BIFTA अपने चौथा हिस्सा को अपने पास रखती है।

पांचवा हिस्सा – 10% पब्लिक रॉयल्टी फंड के तहत जिन आम जनता का रजिस्ट्रेशन होता है उन्हीं को ग्लोबल टर्नओवर का बराबर हिस्सा फंड में बांट दिया जाता है।

3.कॉपीराइट एक्ट 1957 के अन्तर्गत एड एलबम सीरियल मूवीज वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म के ओरिजिनल कंटेंट को सुरक्षित करके उस कंटेंट की कमाई को उसके असली मालिक तक रॉयल्टी के माध्यम से पहुंचना

(a) अक्सर इस इंडस्ट्री में देखा गया है कि ओरिजिनल कंटेंट किसी और का है और चुरा कोई और लेता है और उसे प्रदर्शित करके स्टार बन जाता है इसी के वजह से नए कलाकार उभर नहीं पाते और इंडस्ट्री से निराश होकर वापस लौट जाते है लेकिन अब BIFTA के बायलॉज आपके लिए वरदान बन कर आया है। एक चीज और देखा गया कि किसी सिंगर का गाना किसी राइटर का गाना या स्क्रिप्ट या किसी संगीतकार का ट्यून या धुन चोरी हो जाता है या सुपरहिट हो जाता है तो चोरी होने पर न ही न्याय मिलता है और हित हो जाने पर कभी रॉयल्टी तक नहीं मिलता ।

(b)इसी के लिए BIFTA ने दो प्रावधान बनाया पहला ये की आपका कंटेंट रजिस्टर्ड होना जरूरी है कॉपीराइट होना जरूरी है मार्केट में लॉन्च करने के पहले कॉपीराइट या रजिस्टर्ड एसोसिएशन के द्वारा ही जाना चाहिए इसका दो फायदा पहला ये की अगर आपके कंटेंट को कोई चुरा लेता है तो आपके शिकायत सही पाए जाने पर 3साल की जेल या तो कम से कम 7 लाख का जुर्माना सेटेलमेंट के तौर पर पूरी कमाई ओरिजिनल कंटेंट वाले मालिक को । और दूसरा फायदा यह है कि कंटेंट रजिस्टर्ड या कॉपीराइट होने पर आप जीवन भर रॉयल्टी पा सकते है बस आपके पास आर्टिस्ट कार्ड डायरेक्टर कार्ड प्रोड्यूसर कार्ड स्टूडियो रजिस्ट्रेशन राइटर कार्ड होना चाहिए।

4. फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा कोई भी कलाकार का असली या रजिस्टर्ड कंटेंट कोई और चुरा के बिना अनुमति के मार्केट में प्रदर्शित कर देता है तो चोरी करने वाले के उपर आरोप सिद्घ हो जाने के बाद कम से कम 3 साल की जेल या तो 7 लाख का जुर्माना या तो सेटेलमेंट के तौर पर कंटेंट की पूरी कमाई और सम्मान ओरिजिनल कंटेंट धारक को दिया जाएगा ।

(a) अगर आप राइटर/सिंगर/डायरेक्टर/एक्टर या किसी भी प्रकार के कलाकार है और आपके पास एसोसिएशन का रजिस्टर्ड मेंबरशिप कार्ड है और आप अपने कंटेंट को रजिस्टर्ड या कॉपीराइट करा चुके है तो आपका कॉन्टेक्ट अगर कोई चोरी के लेता है तो उसके उपर कानूनी करवाई के साथ 3 साल का जेल 7 लाख का जुर्माना है साथ ही साथ कला के क्षेत्र से निष्कासन भी कर दिया जाता है।

5.कलाकारो के सुरक्षा मुहैया कराने के संकल्प को लेकर रजिस्टर्ड मेंबर को 1 लाख से 5 लाख रुपए का बीमा

(a) सभी प्रकार के कलाकार प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर या फिल्म इंडस्ट्रीज में संलग्न किसी भी प्रकार का इंसान को सुरक्षा का पहला ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है अक्सर देखा गया है कि कलाकारो को कभी सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया ।

(b) अगर प्रोड्यूसर की हित कि बात करे तो अगर सूटिंग सेट में किसी भी कलाकार का भयानक ऐक्सिडेंट हो जाए या अकस्मात मृत्यु हो जाए तो प्रोड्यूसर फिल्म निर्माण करेगा या मृतक या एक्सिडेंटल इंसान को मुआवजा देगा खुद सोचो आप सभी लोग की प्रोड्यूसर क्या करेगा। हमारे हिसाब से इंसानियत के नाते मुवावजा देगा एक्सिडेंटल इंसान का इलाज कराएगा तो आप खुद ही सोचो क्या वो फिल्म कभी पूरी हो पाएगी ? नहीं न! मै जानता हूं आपका ज़बाब यही होगा । मान लो प्रोड्यूसर ने अगर कुछ भी भरपाई भी किया तो क्या होगा उस आर्टिस्ट बीबी विधवा हो जाएगी बेटा अनाथ हो जाएगा बूढ़े मा बाप बेकार हो जाएंगे और आप भी जानते हो ये हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है तो क्या कलाकारो के पास सुरक्षित हथियार होना चाहिए या नहीं । होना चाहिए न इसीलिए bifta प्रोड्यूसर कार्ड/आर्टिस्ट कार्ड/डायरेक्टर कार्ड/ राइटर कार्ड के साथ 1 से 5 लाख रुपए का पर्सनल एक्सिडेंटल बीमा और लाइफ टाइम रॉयल्टी का प्रावधान लेकर आई है ।

6. कलाकारो को हमेशा मेडिकल की सुविधा

7.प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर राइटर या किसी भी प्रकार के कलाकारो को नियमित रॉयाल्टी देने का प्रावधान

(a) आज तक फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कभी भी कलाकारो को या प्रोड्यूसर को रॉयल्टी नहीं मिला काम का सही इनाम नहीं मिला मगर किसी भी प्रोड्यूसर या आर्टिस्ट का लीगल गाइडलाइन वाला कंटेंट BIFTA पर रिलीज होगा उनको जीवन भर रॉयल्टी दिया जाएगा ।

8.साल में दो बार फिल्म फेयर अवॉर्ड का आयोजन जो कि पहला जून में नेशनल और दूसरा दिसंबर के महीने में इंटरनेशनल फिल्म्स फेयर अवॉर्ड

(a)साल में दो बार होने वाले फिल्म फेयर फेस्टिवल में वही कंटेंट नॉमिनेटेड होंगे जिन्होंने पूर्णता गाइडलाइन के साथ एड एलबम सीरियल मूवीज वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म को बना के bifta सीने पर रिलीज किया होगा।

(b)फिल्म फेयर अवॉर्ड को दो भागो में बांट दिया गया पहला नेशनल फिल्म फेयर अवॉर्ड जो की हर साल जून के महीने में देश कि किसी भी कोने में हों सकता है जिसमें तीन प्रकार के रिवॉर्ड दिया जाता है ।

पहला - भिखारी ठाकुर दिनकर साहित्य कला सम्मान

दूसरा -

तीसरा-

(c)दूसरा फिल्म फेयर फेस्टिवल इंटरनेशनल होता है जो कि दिसंबर में बिश्वा के किसी भी देश में किया का सकता है इसमें विश्व स्तर का कोई भी कंटेंट पूर्णत गाइडलाइन वाला फिल्म फेस्टिवल के लिए नॉमिनेट हो सकता है इसमें चार प्रकार के रिवॉर्ड दी जाती है जो की आखिरी रिवॉर्ड ऑस्कर के टक्कर के होता है पूरे विश्व में किसी एक को ही मिलता है। इसका टर्म एंड कंडीशन वेबसाइट पर देख सकते है।

9.देश के प्रत्येक जिले में फिल्म सिटी की स्थापना करना

(a) संगठन के माध्यम से नियुक्त हुए पदाधिकारी में से ही जिले स्तर के पदाधिकारियों को फिल्म सिटी का लाइसेंस दिया जाता है जिसमें BIFTA को ओर से उस अधिकारी को एक प्रोड्यूसर कार्ड फिल्म सिटी फ्रेंचाइजी स्टूडियो रजिस्ट्रेशन एक प्रोमोशनल चैनल सब्सिडी प्रत्येक बड़े प्रोजेक्ट में 30 से 50% का सपोर्ट

(b)Bifta के द्वारा प्रत्येक जिले में फिल्म सिटी को स्थापना के लिए 50 बीघे का जमीन खरीदा जाता है और 10 बीघे में फिल्म सिटी की स्थापना की जाती है बाकी 40 बीघे में लैंड को डेवलप करके आवासीय कॉलोनी बना के उचित दर पर पूर्णत डेवलप करके प्लॉट को बेच दिया जाता है और फैसिलिटी के लिए आम आदमी के जरूरतों का पूरा ध्यान रखते हुए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है

जैसे

<u>शूटिंग के लिए हाई टेक स्टूडियो</u> ,<u>तीन प्रकार का प्लॉट</u> (LIG/HIG/MIG) , रोड (20 FIT/30 FIT/40 FIT), ड्रेनेज सिस्टम, जिम, पार्क, स्विमिंग पूल, सोलर स्ट्रीट लाइट, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, एल्कलाइन वॉटर सिस्टम, हेलीपैड, स्कूल, हॉस्पिटल, रो हाउसिंग, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर, जूडो कराटे पार्क,लोकल हाट,हथकरघा उद्योग,कुटीर/लघु उद्योग, सेवाआश्रम, बांशिवुड टेंपल, शॉपिंग माल, फिल्म एंड टेलीविजन एकेडमी और अनेकों सबिधाओ से लैस फिल्म सिटी का निर्माण।

<u>FACILITY IN FILM CITY</u>

1. **HOSPITAL-BANSHIWOOD HOSPITAL**
2. **SCHOOL-BANSHIWOOD INTERNATIONAL ACADEMY(SINGING/ACTING/DANCING CLASS FREE)**
3. **SWIMMING POOL**
4. **PARKING SPACE**
5. **ALKALINE WATER SUPPLY –BANSHIWOOD ALKALINE**
6. **DRENEZ SYSTEM**
7. **SHOPPING MALL-LOOPA MART**
8. **GARDEN**
9. **COMMERCIAL COMPLEX**
10. **5 STAR HOTELS-BANSHIWOOD RESORT**
11. **ENTRY GATE WITH SECURITY AREA**
12. **COMMERCIAL AREA**
13. **BIFTA CINEPLEX**
14. **BIFTA CLUB**
15. **LIBRARY (WITTER SKILL& READING SKILL)**
16. **SUITING STUDIO**
17. **BASHIWOOD FOUNDATION (ANATH AASRAM/KUTIR-LAGHU UDYOG)**
18. **FARM HOUSES**
19. **MULTY SPECIALITY GYM**
20. **S OLAR STREET LIGHT**
21. **DUPLEXES**

(c) जिले के फिल्म सिटी में सूट होने वाले प्रत्येक कंटेंट में 60% कलाकारो को काम करने का मौका बाकी 40% कलाकार कही के भी हो।

(d) पूर्णतया गाइडलाइन के साथ सूटिंग करने का पूरा प्रावधान

<u>10. देश के प्रत्येक ब्लॉक में फिल्म एंड टेलीविजन एकेडमी कि स्थापना करना</u>

(a) जैसा कि पहले बताया गया कि BIFTA के द्वारा ब्लॉक स्तर पर फ्री सदस्यता अभियान के तहत कलाकारो को निशुल्क वर्क शॉप देकर जिले के फिल्म सिटी में काम देने का प्रावधान है तो वो सभी सिस्टम को ब्लॉक स्तर के ट्रेनिंग संस्थान के माध्यम से यह कार्यक्रम को लगातार संचालित किया जाएगा।

(b) ट्रेनिंग संस्थान की फ्रेंचाइजी ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों को ही दिया जाना तय किया गया है।

11.संगठन के माध्यम से बांशिवुड इंडस्ट्री को बेहतर ढंग से संचालन करना ताकि लोगो को लगातार काम मिल सके

(a) संगठन मजबूती को लेकर मुख्य उद्देश्य यह है कि जिले के कलाकारो को लगातार मान सम्मान पैसा दौलत शोहरत सुरक्षा और सही जानकारी मिल सके। ताकि हमारे देश में फिल्म इंडस्ट्री का बिस्तर सुचारू रूप से हो सके और कलाकारो को सम्मान मिल सके।

12.फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में साफ सुथरे तरीके से रोजगार पैदा करके लोगो को बेखौफ तरीके से जोड़ना

(a) ब्लॉक स्तर पर होने वाले वर्कशॉप को तीन माह तक चलाया जाएगा जिसमें सबसे पहला टॉपिक कलाकारो को जागरूक करना है ।

(b) लोकल इंडस्ट्री बना कर लोकल कलाकारो को बेखौफ तरीके से काम काम करने का मौका साथ ही साथ जिले के माताएं बहनों को भी सुरक्षा मुहैया करा कर काम देना।

(c) फिल्म एड एलबम सीरियल मूवीज वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म के नाम पर अगर कोई किसी से ठगी करता हुआ पकड़ा गया तो कई वर्षों तक जेल से बाहर नहीं आएगा साथ ही साथ कला के क्षेत्र से निलंबित कर दिया जाएगा ।

(d) अगर किसी कलाकार से पैसा मांगा जाता है तो आप सीधे एसोसिएशन से शिकायत करे या मेल के biftaindia@gmail.com

13.एसोसिएशन के माध्यम से कलाकारो और कला को प्रोमोट करने के लिए सप्ताहिक या मासिक पत्रिका का प्रकाशन करना

(a) Bifta राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक मीडिया प्रभारी की नियुक्ति कर रही है ताकि bifta मैगज़ीन और चैनल के माध्यम से सभी कलाकारो को प्रोमोट किया का सके।

(b) bifta मैगज़ीन/न्यूज़ पोर्टल/सप्ताहिक और मासिक पत्रिका का रिपोर्टर मीडिया प्रभारी हो होता है ।

(c) इसका काम करने का तरीका यह है कि ब्लॉक या पंचायत स्तर के मीडिया प्रभारी अपने जिला कार्यालय या जिला फिल्म सिटी में सभी फाइल को भेज कर न्यूज़ को प्रोमोट करेंगे!

14.फिल्म इंडस्ट्री में हो रहे साइबर अपराध को रोकना

(a) फिल्म इंडस्ट्री में हो रही साइबर क्राइम जैसे फर्जी प्रोडक्शन हाउस फर्जी सूटिंग फर्जी इवेंट फर्जी ऑडिशन फर्जी स्टूडियो का संचालन कलाकारो के साथ शोषण फिल्म में काम देने के नाम पर अवैध वसूली इत्यादि अनेक अपराधिक समस्याओं को रोकने के लिए BIFTA ने युद्ध स्तर पर इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट के सेंट्रल पदाधिकारी के साथ टीम बना चुकी है जिनको साइबर टीम के नाम से जाना जाता है।

(b) किसी भी प्रकार के फिल्म इंडस्ट्रीज में हो रहे क्राइम या शोषण को रोकने के लिए पूरे जिले में टीम मौजूद है इनके लिए फिल्म सिटी में ही एक ऑफिस बनाया जा रहा है ।

(c) इनका कार्य यह है कि सही तथ्य जांचने के बाद लीगल शुल्क का 10 गुना हर्जाना का चालान काट कर चले जाते है जिसकी वासूली जिला कोर्ट करती है जिसमें से आया हुआ धन का आधा हिस्सा bifta को डोनेशन मिल जाता है और आधा हिस्सा राजकीय कोष में जमा हो जाता है ।

15.ब्लॉक स्तर के कलाकारो और कला से जुड़े आम नागरिकों को ग्राम पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर वर्कशॉप का आयोजन करके फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जागरूक करना और गलत झासा और बहकावे में आने से रोकना

16. प्रदेश स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक टीम का गठन करना और उन्हें वेबसाइट के माध्यम से आईडी पासवर्ड सौंप कर कला के क्षेत्र में काम करने को प्रोत्साहित करना

(a) Bifta में किसी भी प्रकार से जुड़ने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर किसी न किसी bifta के पुराने पदाधिकारी के माध्यम से ही किसी भी पद के लिए ज्वाइन किया जा सकता है क्युकी ज्वाइन करने के लिए सॉफ्टवेर स्पॉन्सर आईडी की मांग करता है।

(b) कोई भी पद के लिए आईडी पासवर्ड बनाना जरूरी है क्युकी सॉफ्टवेर के माध्यम से ही सभी की रॉयल्टी मिलता है

17.पूरे देश में सिनेमाघर के निर्माण करना या निर्माण हुए या बन्द हुए सिनेमाघरों को BIFTA के पॉलिसी के अनुसार संचालित करना

(a) Bifta सीने के माध्यम से पूरे देश में खुद का हजारों फिल्म हॉल बनाने का या एग्रीमेंट करने का या खरीदने का काम जारी है जिसके माध्यम से एक ही समय एक ही वक्त ओटीपी के माध्यम से किसी प्रोजेक्ट को कई हज़ार फिल्म हॉल में दिखाया जा सके।

(b)हिन्दुस्तान में जितने भी फिल्म हॉल बन्द हो चुके है सभी फिल्म हॉल को BIFTA खुद खरीद कर 100 सीट का सिंगल स्क्रीन फिल्म हॉल का निर्माण कर रही है।

(c)अगर इस देश में कोई भी फिल्म हॉल का मालिक चाहे तो BIFTA सीने से 30 साल के लिए लीज करके पार्टनरशिप के सकता है और कुल कमाई का 30% पा सकता है ।

BIFTA CINE क्या है?

सबसे पहले तो ये बताते चले कि BIFTA सीने दो प्रकार का है पहला BIFTA सीने के नाम से सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर जहां पर सेटेलाइट के माध्यम से फिल्मों का प्रदर्शन होता हैं और BIFTA सीने एक सेटेलाइट ही है जिसके माध्यम से एक जगह से बैठे बैठे हजारों सिनेमा घरों में फिल्मों का प्रदर्शन किया जाता है।और दूसरा BIFTA साइन एक मोबाइल ऐप्स है जो कि पैड प्रोमोशन पर काम करती है यानी की इस ऐप्स को मोबाइल से डाउनलोड करके सभी भाषा में फिल्म,सीरियल,वेब सीरीज,एलबम को वीडियो के रूप में देखा जा सकता है जैसे कि YouTube।

BIFTA CINE से निर्माता/निर्देशक और कलाकारो को क्या फायदा है?

जैसा कि आप जानते है कि BIFTA का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एंड शहरी कलाकारो के प्रतिभा को निखार कर यानी प्रत्येक जिले के कलाकारों को वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेंड करके जिले के BIFTA फिल्म सिटी/प्रोडक्शन हाउस में काम देना और उनके लिए हुए कार्यों को BIFTA सीने के माध्यम से प्रदर्शित करना है ।

डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है ?

सबसे पहले तो प्रोड्यूसर का या प्रोडक्शन हाउस का को भी लागत लगता है उनकी पूंजी को bifta अदा कर देती है इसके बाद होने वाले कमाई को चार भाग में डिस्ट्रीब्यूट करती है पहला हिसा उस प्रोड्यूसर/प्रोडक्शन हाउस को

मिलता है दूसरा हिसा उस प्रोजेक्ट में काम किए हुए रजिस्टर्ड कलाकारो को काम और पद के अनुसार रॉयल्टी के रूप में मिलता है तीसरा हिस्सा आप सभी को समयानुसार सर्विस दे रहे BIFTA के प्रदेश/जिला/ब्लॉक पदाधिकारी को और चौथा हिस्सा BIFTA को मिलता है।

BIFTA सीने का उद्देश्य।

पूरे विश्व में फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में एड एलबम सीरियल मूवी वेब सीरीज या शॉर्ट मूवी का जितना प्रोडक्शन होता है उस 100% में से अकेले भारत में 87% प्रोडक्शन होता है अगर मार्केटिंग या प्रदर्शन के नाम पर भारत सबसे पीछे है भारत में सिर्फ और सिर्फ 17 से 27% ही मार्केटिंग होता है यानी की मार्केटिंग के नाम पर 60 से 70% का गैप है इसी को भरने का काम BIFTA कर रही है ।

BIFTA सीने से कैसे जुड़े?

भारत में जितने भी फिल्म हाल है उसमे से 70% पर्सेंट सिनेमा घर बन्द हो चुके है कुछ अगर चल भी रहे है तो उनकी हालत जर्जर है ऐसे सिनेमा घरों को BIFTA सीने 30 साल के अनुबंध पर पार्टनरशिप करती है और उसको दुबारा सुरु करती है और कुल कमाई का 70:30 का हिस्सेदारी bifta और फिल्म हाल मालिक के बीच अनुबंध होता है इस प्रकार से bifta का लक्ष्य 3000 सिनेमा घर तक पहुंचना है और फिल्म हाल के मालिकों का उत्थान के साथ साथ कलाकारो का उत्थान करना है।

18. ऑनलाइन के जमाने में वेबसाइट/ऐप्स के माध्यम से कंटेंट को प्रदर्शित करना जिससे आप आदमी तक कला और साहित्य को पहुंचाया जा सके

(a)किसी भी कंटेंट को होस्ट करने के लिए BIFTA ने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म सुरु किया है जिसका नाम है BIFTA सीने । यह ऐप्स गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करके इसमें प्रदर्शित होने वाले शो को बेहिचक देख सकता है जिसके लिए भी मानक है साफ सुथरी कंटेंट।

(b)ओटीटी से होने वाली कमाई को कंटेंट ऑनर को रॉयल्टी के माध्यम से पैसा दिया जाता है

(c)अगर वेब शो के लिए तैयार कंटेंट पूरी गाइडलाइन को फॉलो करता है तो लागत वापस कर दी जाती है।

19. देश के इच्छुक युवा पीढ़ी के लोगो को सपोर्ट करना जो खुद का प्रोडक्शन हाउस सुरु करके नाम मान सम्मान सोहरत और दौलत कमाने चाहते है ऐसे युवा

लोगो को प्रोड्यूसर मेंबरशिप कार्ड प्रदान करना ताकि समाजिक गतिविधि को चलाते हुए कला एवं साहित्य को प्रोमोट करते हुए ग्रामीण युवा कलाकारों को एड एलबम सीरियल मूवीज वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म में काम दे सके और रोजगार को बढ़ावा दे सके

(a)Bifta के माध्यम से प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर मेंबरशिप कार्ड बनवाया जा सकता है जिसने 1 से 5 लाख का बीमा और साथ ही साथ लाइफ टीम रॉयल्टी भी दिया जाता है

(b)अगर किसी भी कंटेंट को पूरी गाइडलाइन के साथ बनाई जाए तो लागत वापस हो जाती है।

20. देश के किसी भी कोने में हो रहे सूटिंग को BIFTA के द्वारा नियुक्त साइबर टीम के माध्यम से लीगल जांच करने का पूरा आदेश

(a)साइबर टीम के द्वारा किसी भी सूट को 30 मिनट के लिए रोका जा सकता है और उनकी लीगल डॉक्युमेंट्स को जांच किया जा सकता है

(b)कलाकारो का ख्याल रखते हुए किसी भी प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले कोई भी प्रोजेक्ट का निर्माण होता है तो उसके लिए मजदूरों/कलाकारो की जरूरत होती है और कलाकारो की यूनियन BIFTA जो को इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के नियम को ध्यान में रखते हुए कलाकारो को सुरक्षा मुहैया करना उस प्रोडक्शन हाउस की पहली भूमिका होगी।

(c)सुरक्षा की दृष्टि से सभी के पास आर्टिस्ट कार्ड (बीमा वाला) होना अनिवार्य है और आर्टिस्ट कार्ड बीमा वाला और रॉयल्टी वाला न होने पर प्रोड्यूसर के ऊपर प्रत्येक आर्टिस्ट लीगल शुल्क का 10 गुना हर्जाना भरेगा चालान करने पर जिला कोर्ट के द्वारा वसूली होगी।

(e)सूटिंग सेट पर हमेशा प्राथमिक चिकित्सा और एम्बुलेंस होना अनिवार्य है।

21. देश के किसी भी हिस्से में अगर सूटिंग हो रही हो और गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जा रहा हो तो जिस प्रोडक्शन हाउस के द्वारा सूट हो रही है उस

<u>प्रोडक्शन हाउस के मालिक के उपर नियमानुसार कार्रवाई और दंड का नियम है दंड यानी चालान की भुगतान राशि जिला न्यायलय में जमा होगी|</u>

(a)यह नियम कानून की धारा 1926 में साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन(इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट1926) के द्वार इस कानून को फॉलो कर सकता है या करवा सकता है इसलिए भारत सरकार की विभिन्न धाराओं से युक्त BIFTA को यह हक है को कलाकारो के हित में बायलॉज के अनुसार काम करे।

<u>21.देश के किसी भी कोने में अगर फर्जी रिकॉर्डिंग स्टूडियो यानी बिना मानक के चलाए जा रहे है और BIFTA की जिला साइबर टीम के द्वारा पकड़े जाने पर लीगल शुल्क का 10 गुना हर्जाना भरना अनिवार्य है|</u>

<u>22.देश के कही भी सूटिंग चल रही हो और अगर सूटिंग सेट पर किसी भी आर्टिस्ट/डायरेक्टर को बिना आर्टिस्ट कार्ड के साइबर टीम पकड़ लेती है तो उस आर्टिस्ट/डायरेक्टर के उपर लीगल शुल्क का दस गुना हर्जाना भरना होगा साथ ही साथ प्रोड्यूसर को भी 10 गुना हर्जाना भरना होगा|</u>

<u>23. अगर कोई भी कंटेंट पूर्णत गाइडलाइन के साथ निर्माण हुआ है तो उस प्रोडक्शन हाउस को अधिकार है कि उस कॉन्टेक्ट को ऑन दी टेबल BIFTA सीने को बेच सकता है और अपनी लागत का रकम वापस पा सकता है|</u>

24.एड एलबम सीरियल मूवीज वेब सीरीज शॉर्ट फिल्म को BIFTA सीने पर बेचा जा सकता है अगर पूरी गाइड लाइन फॉलो कि गई है तब।

***अगर आप चाहते है कि आपको कंटेंट BIFTA सीने पर प्रदर्शित हो और आपका लागत ऑन टी टेबल आपको मिले तो उसके लिए इस मानक को पूरा करे और गाइडलाइन को पूर्णता फॉलो करे।**

1. जिस प्रोडक्शन हाउस /कंपनी /बैनरतले आप किसी भी प्रोजेक्ट का निर्माण करते है तो वो प्रोडक्शन हाउस रजिस्टर्ड होना चाहिए और जितने भी प्रोड्यूसर होंगे सबका प्रोड्यूसर मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए जिस कार्ड में बीमा हो और रॉयल्टी सिस्टम भी हो ।

2.जिस कंटेंट के उपर प्रोडक्शन होना है उसका टाइटल रजिस्टर्ड होना चाहिए वो भी बहुभाषीये ताकि bifta उस कंटेंट को कई भाषा में प्रदर्शित कर सके।

3.टाइटल का पूरी सार चाहे ओ स्क्रिप्ट हो सॉंग हो कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए।

4. प्रोडक्शन हाउस का करंट अकाउंट होना चाहिए

5.कंटेंट का कुल बजट चार्टेड अकाउंटेंट से बनवाया हुए होना चाहिए जिसको टाइटल नाम कन्फर्म होने के बाद ऐसोसिएशन के बोर्ड मीटिंग में पेश किया जाएगा।

6. प्रोजेक्ट बनाने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा जारी बजट को एसोसियेशन के सामने प्रस्तुत करना होगा इसके बाद एसोसिएशन से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त होगा इसके बाद प्रोजेक्ट सूट करने के पहले बजट का 100% करंट अकाउंट में डालना होगा ।

7.टाइटल कन्फर्म होने के बाद। ऑडिशन का आयोजन होना चाहिए

8. ऑडिशन के बाद फाइनल कास्टिंग का लिस्ट एसोसिएशन में जमा होना चाहिए

9.साथ हि साथ उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी कलाकारो का आर्टिस्ट कार्ड का कॉपी बीमा का कॉपी रॉयल्टी कोड एसोसिएशन में संलग्न होना चाहिए

10. प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी कलाकार /निर्देशक या (किसी भी प्रकार के कार्यकर्ता जो शूटिंग में संलग्न हो) के पास आर्टिस्ट कार्ड या डायरेक्टर कार्ड होना चाहिए। अगर अगर नहीं है और एसोसिएशन के द्वारा निर्मित सायबर टीम जांच में पकड़ लेगी तो प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस के के उपर 1लाख का जुर्माना और 1 साल के लिए सदस्यता रद्द कर दी जाएगी ।

11.आर्टिस्ट कार्ड कही का भी ही मगर उस कार्ड के साथ बीमा और रॉयल्टी कोड होना चाहिए। जिसकी कॉपी संलग्न होगी।

12. जिस प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन होगी उस प्रोजेक्ट में काम करने वाले कलाकारों का अनुपात 60:40 का होना चाहिए यानी कि 60% कलाकार नए और उसी जिले के और 40% कलाकार पुराने होने चाहिए।

13 किसी भी प्रोजेक्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक 80% लाइव होना चाहिए और 20% कंप्यूटराइज हो सकता है ।

14. अगर किसी भी प्रोजेक्ट का म्यूजिक BIFTA cine के सॉफ्टवेयर पर कॉपीराइट बताता है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या उसकी काट कर हटाना होगा तभी प्रोजेक्ट का पेमेंट अप्ररूवल मिलेगा ।

15. BIFTA के द्वारा रजिस्टर्ड प्रोडक्शन हाउस या रजिस्टर्ड कलाकार ही रॉयल्टी का लाभ उठा पाएंगे।

16. BIFTA के द्वारा देश के प्रत्येक जिले में खुलने वाला फिल्म सिटी में बनने वाला कोई भी प्रोजेक्ट को अतिरिक्त 30 से 50% का सपोर्ट दिया जाएगा । लेकिन जिले में संगठन का मानक पूर्ण होना चाहिए यानी कि जिला अध्यक्ष जिला सचिव जिला मीडिया प्रभारी के साथ ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक सचिव ब्लॉक मीडिया प्रभारी नियुक्त और सक्रिय होना चाहिए।

17.अगर प्रोजेक्ट में काम करने वाला आर्टिस्ट के पास BIFTA का आर्टिस्ट कार्ड होगा तभी वो कलाकार अपना हक जैसे रॉयल्टी, फिल्म फेयर रिवॉर्ड, इंटरनेशनल टूर के लिए भागीदार होगा ।

18.प्रोजेक्ट बनने से लेकर प्रोजेक्ट रिलीज होने तक प्रोड्यूसर के खिलाफ किसी भी कलाकार या निर्देशक का शिकायत नहीं आना चाहिए अगर शिकायत के बाद जांच में सही पाए गए तो प्रोजेक्ट निरस्त हो जाएगा और उसकी पूरी जीमेदारी प्रोड्यूसर की होगी ।

RATE LIST OF ARTIST

ACCORDING TO INDIAN TRADE UNION ACT 1926 OR BYLAWS OF BANSHIWOOD INTERNATIONAL FILMS AND TELEVISION ASSOCIATION –BIFTA

Artist/director rate-300-3000   shift time -8 hour

Artist-

(Actor)-2900

Junior Artist-1200

Anchor-800

Character Artist-1800

Child Artist-1200

Comedian-1500

Dancer-1000

Lead Artist-2900

Model- 1000

Supporting Artist-1200

Villain-1500

Action Director-2300

Art Director-2200

Asst. Action Director-1600

Asst. Art Director-1500

Asst. Director-1500

Asst. Editor-1200

Asst. Lighting Technician-1000

Casting Director- 2000

Choreographer- 2000

Cinematographer- 2100

Color Correction- 2500

Director-2800

Dubbing Artist-1200

Editor- 2000

Camera Asst.-1000

Graphic Designer-1500

Hair Stylist- 1000

Light-Man- 800

Lighting Manager-1000

Location Manager- 1000

Make-Up Artist- 1000

Music Director- 2000

Spot boy-500

Stuntman- 1100

Fight Master- 1500

Production Controller-1200

Production Manager-1000

Instrument player-1000

Dancer- 800

Modeling-1000

Scriptwriter-1500

Lyricist -1000

Music composer-1200

Recordist-800

Dance master -1000

Associate director-2000

Creative director-2000

Assistant fight master -1500

Assistant director of photography- 1000

Light man production controller-800

Sound master-700

Junior artist -1100

Chief Editor- 2200

Singer-1500

Korus -400

Dress men-1300

Vfx editor-1800

OUR SERVISES

ARTIST CARD/DIRECTOR CARD/PRODUCER CARD/STUDIO REGISTRATION/TITLE REGISTRATION/COPYRIGHT CONTENT/FILMFARS AWARDS/FILM CITY OPEN IN INDIA/SOCIAL WELFARE/EXPAND FILM BUSINESS/PROMOTION IN THE FIELD OF ARTS OR MANY OTHER BECAUSE WE ARE NON PROFIT /NON GOVERNMENT.

Banshiwood international films and television association-BIFTA

www.bifta.in E-mail-biftaindia@gmail.com

जय BIFTA तय BIFTA

Founder & chairman-Sameer sangam (om patel)-9170347347/7985399871